

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा

डीफ स्कीम, 2014

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 की धारा 26(क) के अन्तर्गत निर्मित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 की धारा 26ए के अनुसार बैंक में 10 वर्षों या उससे अधिक समय से अपरिचालित खातों एवं बिना दावे (अनक्लेम्ड) जमा अवशेष राशियों को भारतीय रिजर्व बैंक स्तर पर निर्मित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में हस्तांतरित करने के निर्देश दिये गये हैं।

शाखा प्रबंधक

कार्यालय प्रति

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा

कमांक / लेखा / डी.ई.ए.एफ. / 2014-15 / 1473

विदिशा, दिनांक 12-07-2014

प्रति,

शाखा प्रबन्धक,
समस्त शाखायें ।

विषय : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 की धारा 26 (क) के अन्तर्गत निर्मित "The Depositor Education and Awareness Fund Scheme 2014" के क्रियान्वयन एवं परिचालन विषयक ।

उक्त विषयान्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के संलग्न परिपत्र दिनांक 27-05-2014 का अवलोकन करें । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सन्दर्भित परिपत्र के माध्यम से बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 की धारा 26 (क) के अन्तर्गत निर्मित "The Depositor Education and Awareness Fund Scheme 2014" की जानकारी देते हुये बैंकों में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से अपरिचालित खातों एवं विना दावे (Unclaimed) जमा अवशेष राशियों को भारतीय रिजर्व बैंक स्तर पर निर्मित "The Depositor Education and Awareness Fund" में हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये गये हैं । योजना के प्रावधानों के अनुसार बैंक स्तर पर उक्त अवशेष राशियों को संलग्न मार्गदर्शिका अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को नियमित रूप से प्रतिमाह भेजी जाना है । इस हेतु शाखा स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें :

(1) प्रथमतः योजनान्तर्गत शाखा स्तर पर योजना प्रकाशित होने की पूर्व दिनांक अर्थात् 23-05-2014 की स्थिति पर 10 वर्ष या उससे अधिक समय से व्यक्तिगत अपरिचालित खातों एवं विना दावे (Unclaimed) जमा अवशेष राशियों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जावे ।

(2) उक्त सूची में चिन्हित खातों को Interest Bearing, Non Interest Bearing and Other Credits श्रेणी में विभाजित किया जावे । Interest Bearing Accounts के सम्बन्ध में प्रथमतः दिनांक 23-05-2014 तक के ब्याज सहित बकाया राशि को सूची में दर्शाया जावे । तत्पश्चात् उस राशि पर दिनांक 24-05-2014 से दिनांक 30-06-2014 तक का ब्याज नियमानुसार आगणित किया जाकर शाखा स्थित RBI DEAF POOL FUND में जमा की जावे एवं संलग्न प्रारूप कमांक एक (अ, ब, स) में जानकारी तैयार की जावे एवं सतत अंकेक्षक से सत्यापन करवाया जावे । प्रारूप कमांक एक (अ, ब, स) में उल्लेखित खातों की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक के संलग्न फार्म - I में संकलित रूप में तैयार की जावे तथा उक्त जानकारी एवं प्रारूप कमांक एक (अ, ब, स) तथा फार्म - I की एक प्रति शाखा स्तर पर रखी जाकर एक प्रति तत्काल मुख्यालय को प्रेषित की जावे । फार्म - II, III एवं IV प्रतिमाह पांच तारीख तक एवं फार्म - V वर्षान्त पर तैयार किया जाकर पांच अप्रैल तक आवश्यक रूप से मुख्यालय प्रेषित किये जावें ।

ले

— निरन्तर - 2

(2)

(3) भारतीय रिजर्व बैंक के फार्म-1 में उल्लेखित राशि जो शाखा स्थित RBI DEAF POOL FUND में जमा है को दिनांक 30-06-2014 की स्थिति पर शाखा स्थित RBI DEAF POOL FUND मद से एकमुश्त नामे कर मुख्यालय के RBI DEAF POOL FUND मद में जमा की जावे एवं इसकी सूचना मुख्यालय को उसी दिन दी जावे ।

(4) योजनान्तर्गत कैलेण्डर माह के दौरान सूचीबद्ध ऐसे खातों पर आगामी माह की अन्तिम तिथि तक का ब्याज आगणित करते हुये उपरोक्त विन्दुओं में दर्शाई गई प्रक्रिया अपनाकर राशि आगामी माह की 15 तारीख तक मुख्यालय को अन्तरित की जावे । किसी माह में जानकारी निरंक होने की स्थिति में निरंक दर्शाते हुये मुख्यालय को अवगत करावें । मासिक जानकारी निर्धारित प्रारूप क्रमांक एक (अ, ब, स) एवं फार्म-1, II, III एवं IV में अनिवार्यतः भेजी जावे ।

(5) समस्त शाखायें योजनान्तर्गत फण्ड में भेजी गई राशि/खातों का पूर्ण रिकार्ड/अभिलेख स्थाई रूप से संघारित करेंगी । यदि किसी खातेदार द्वारा फण्ड में भेजी गई राशि की मांग की जाती है तो ऐसे खातों/संव्यवहार का रिकार्ड भी संघारित करेंगी ।

(6) किसी खातेदार द्वारा कभी राशि वापिसी की मांग की जाती है तो शाखा स्तर पर संघारित रिकार्ड के आधार पर नियमान्तर्गत शाखा द्वारा राशि खातेदार को वापिस की जावेगी एवं उसका क्लेम मुख्यालय के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जावेगा । भारतीय रिजर्व बैंक से राशि वापिस प्राप्त होने पर इसे संघारित अभिलेख / खाते में समायोजित कर वापिसी दिनांक अंकित की जाकर खाते का तातारीख मिलान रखा जावे ।

(7) शाखा स्तर से प्रेषित की जाने वाली समस्त जानकारी का शाखाओं द्वारा अपने स्तर पर पूर्ण परीक्षण एवं सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जावे । इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये शाखा प्रबन्धक उत्तरदायी होंगे ।

(8) उक्त योजना के लिये बैंक द्वारा श्री सुशील कुमार शर्मा (शाखा प्रबन्धक) को सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है । इस योजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये श्री सुशील कुमार शर्मा (शाखा प्रबन्धक) से सम्पर्क किया जा सकता है ।

संलग्न : यथोपरि ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्रमांक/लेखा/डी.ई.ए.एफ./2014-15/1473

विदिशा, दिनांक 12-07-2014

प्रतिलिपि : समस्त कक्षाधिकारी, प्रधान कार्यालय विदिशा । उक्तानुसार 10 वर्ष या उससे अधिक समय से अपरिचालित खातों एवं विना दावे (Unclaimed) जमा अवशेष राशियों को अन्तरित कराने की कार्यवाही करें ।

श्री सुशील कुमार शर्मा, प्रबन्धक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा

क्रमांक -लेखा/डी.ई.ए.एफ./2017-18/4078

दिनांक 14.12.2017

प्रति,

शाखा प्रबंधक
शाखा समस्त

विषय :-जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना (DEAF) के संबंध में।

संदर्भ :-प्र.का. पत्र क्रमांक/लेखा डी.ई.ए.एफ./2014-15/1473दिनांक12.07.2014

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार DEAF योजना के क्रियान्वन संबंधी आदेश निर्देश जारी किये गये थे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके सर्कुलर नं. DBR.No.DEA Fund Cell/3044/30.01.002/2017-18 दिनांक 27.09.2017 अनुसार इसके परिचालन संबंधी निर्देशों में परिवर्तन किया गया है। इन परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय को निम्नानुसार रिटर्न भेजे जावेगे।

1. फार्म I - पूर्व में भेजे जाने वाले फार्म I,II के स्थान पर संशोधित एवं समेकित नया फार्म I अब प्रधान कार्यालय को प्रतिमाह आधार पर अगले माह की 05 तारीख तक भेजना सुनिश्चित करें। बैंक स्तर पर यह फार्म ई- कुबेर पोर्टल के द्वारा स्पॉन्सर बैंक के माध्यम से बैंक मेल-आईडी पर प्रतिमाह अंतिम तिथि पर प्राप्त होगा। प्रधान कार्यालय द्वारा शाखाओं से प्रेषित फार्म I, जो कि सतत अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षित हो के प्राप्त होने पर उन्हें समेकित कर, मेल से प्राप्त बैंक के फार्म I से पुष्टि एवं सहमति उपरांत सतत अंकेक्षक से अंकेक्षित कराकर उसको डीफ कार्यालय रिजर्व बैंक मुंबई भेजा जाना है।

2. फार्म II - पूर्व में भेजे जाने वाले फार्म III,IV के स्थान पर संशोधित एवं समेकित क्लेम रिफण्ड हेतु नया फार्म II, जिस माह शाखाओं में क्लेम प्रस्तुत हुआ है। उसके अगले माह की 01 तारीख तक प्रधान कार्यालय भेजना सुनिश्चित करे। ताकि प्रधान कार्यालय स्तर पर सभी शाखाओं के उस माह के प्राप्त क्लेम को समेकित कर बोर्ड ठहराव कराकर डीफ कार्यालय रिजर्व बैंक मुंबई भेजा जा सके। साथ ही साथ उक्त क्लेम स्पॉन्सर बैंक के माध्यम से ई- कुबेर पोर्टल पर प्रस्तुत किया जा सके।

3. फार्म III - शाखाओं द्वारा अर्द्धवार्षिक आधार जून एवं दिसम्बर में फार्म III, सतत अंकेक्षक से अंकेक्षित कराकर 10 जुलाई एवं 10 जनवरी तक प्रधान कार्यालय भेजा जाना है। जिससे प्रधान कार्यालय द्वारा बैंक स्तर पर Certificate of Reconciliation फार्म III, डीफ कार्यालय रिजर्व बैंक मुंबई भेजा जा सके।

इसके साथ ही अनक्लेमड डिपॉजिट की स्थिति दर्शाने वाला फार्म V, आगे से नहीं भेजना है।


उक्त संशोधित फार्म निर्धारित समयावधि मे नियमानुसार भेजना सुनिश्चित करे। एवं डीफ पूल फण्ड में राशि ट्रांसफर करते ही पूर्व की भाँति प्रधान कार्यालय को तत्काल लिखित एवं दूरभाष पर सूचित करे।

शेष दिशानिर्देश प्रधान कार्यालय द्वारा जारी संबर्धित पत्र एवं रिजर्व बैंक सर्कुलर नं. DBOD.No.DEA Fund Cell.BC.114/30.01.002/2013-14 दिनांक 27.05.2014 एवं DBR.No.DEA Fund Cell.BC.105/30.01.002/2014-15 दिनांक 18.06.2015 के अनुसार यथावत रहेगें।


संलग्न :- यथोपरि

क्रंमाक -लेखा/डी.ई.ए.एफ./2017-18/4078
प्रतिलिपि :-

समस्त कक्षाधिकारी प्रधान कार्यालय विदिशा की ओर सूचनार्थ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी

विदिशा दिनांक 14.12.2017


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
विदिशा

6	Total amount with the Fund at the end of the(month) 20.....(1+5)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Signature:

Name:

Designation of the Officer (With Stamp):

Telephone Number:

Place:

Date:

Certificate - Details given above are true as per the records of the branch and verified by me and found to be correct.

Signature:

Name of Concurrent Auditor (With Stamp):

Address:

Form II

Monthly return claiming refund from the DEA Fund
(Original hardcopy to be submitted by 15th of the succeeding month to which the claim pertains)

1. Name of the Branch -----

4. Details of claims made during the month 20

Interest Bearing Deposits				Non-Interest Deposits		Bearing		Other Credits		Grand Total	
No of Accounts	Principal Amount	Interest Amount	Total Amount	No of Accounts	Amount	No of Accounts	Amount	No of Accounts	Amount	No of Accounts	Amount
(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=1+5+7)	(10=4+6+8)		
Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total

@ Please mention the A/c Number of your Current A/c or the Current A/c of your sponsor bank, maintained with RBI, through which you would desire to receive the above refund claim.

Note- No individual customer/depositor wise details should be furnished. In the case of any claim for refund of part amount by the depositor whose unclaimed amount/inoperative deposit had been transferred to the Fund, the bank shall claim the entire amount transferred to the Fund in respect of such depositor along with interest payable, if any, from the Fund.

Certified that the above claims have not earlier been made or received from the DEA Fund.

Signature:

Name of the First Authorized Signatory:

Designation of Officer (With Stamp):

Place:

Date:

Signature:

Name of the Second Authorized Signatory:

Designation of Officer (With Stamp):

Certificate -Details given above are true as per the records of the bank and verified by me and found to be correct.

Signature:

Name of Concurrent Auditor (With Stamp):

Address:

Date:

Form III

Certificate of reconciliation of balances for the Half Year ended June/December
(Please certify either A.1 or A.2 and strike out whichever is not applicable)

Name of the Branch: _____

A. Certificate by the officers of the bank

1. If the balances tally

We certify that balances of unclaimed deposits transferred by the bank to the DEA Fund under various heads as shown in the General Ledger of the bank, tally with the balances maintained with the DEA Fund Cell as reflected in Form I generated from the DEA Fund module of RBI, as on 30-06-..... or 31-12-.....

2 If the balances do not tally

We observe that while balance of unclaimed deposits as shown in the General Ledger of the bank as on 30-06-...../ 31-12-..... is Rs....., balance of unclaimed deposits as shown in the balances maintained with the DEA Fund Cell as reflected in Form I generated from the DEA Fund module of RBI, as on 30-06-..... / 31-12-..... is Rs

We have initiated steps to reconcile the difference and shall update RBI soon.

Signature
Name
Designation
Place
Date

Signature
Name
Designation
Place
Date

B. Certificate by Concurrent Auditor of the bank:

Details given above have been verified by me and found to be correct are true as per the records of the bank.

Signature:
Name of Concurrent Auditor (With Stamp):
Address:

Place:
Date: